

प्रारूप-7
(नियम 11 देखिये)

जादक क्रं. 416 दि. 13/9/21

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रिकरण अधिनियम 1973 (क 44 सन् 1973) की धारा के अधीन शासी निकाय की सूची की जानकारी प्रस्तुत करने के लिये प्रपत्र।

1. सोसायटी का पूरा नाम व पता — भारतीय आदर्श शिक्षण समिति, मंदसौर
2. पंजीयन क्रमांक व दिनांक — 3673/5/3/1974
3. साधारण निकाय के वार्षिक सम्मेलन दिनांक — 17/07/2021
4. विद्यमान पदाधिकारियों की सूची कार्यकाल — दिनांक 18/07/2021 से दिनांक: 18/07/2024

क्र	नाम पिता/पति	पता	धारित पद	मुख्य व्यवसाय	हस्ताक्षर
1	श्री अशोक कुमार पिता श्यामलाल जी पारीख	मधुरम जनता कॉलोनी मंदसौर	अध्यक्ष	व्यापार	
2	श्रीमती वार्तिका पति श्री प्रमोद जी पारीक	सरस्वती नगर मंदसौर	उपाध्यक्ष	गृहिणी	
3	श्री प्रमोद पिता जगदीश राव जी अरवदेकर	नई आबादी मंदसौर	सचिव	सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी	
4	श्री सुनील पिता बाबुलाल जी शर्मा	नवकार रित्वर मंदसौर	सह-सचिव	शिक्षक	
5	श्री अंकित पिता महेश कुमार जी नागर	एम.आई जी-2 रामटेकरी	कोषाध्यक्ष	सी.ए	
6	श्री प्रकाश पिता श्री मागीरथ जी धनगर	श्रीराम मार्केट शुजालपुरमण्डी	सदस्य	व्यापार	
7	श्री राजदीप पिता श्री गोपाल जी परवाल	कालाखेत मंदसौर	सदस्य	व्यापार	
8	श्री महादेव पिता देवराम जी यादव	सरस्वती विहार संजीत मार्ग मंदसौर	प्रतिष्ठान प्रतिनिधि	शिक्षक	
9	श्री प्रवीण पिता श्री अमरलाल जी उपाध्याय	12/2 रितुराज कॉलोनी मंदसौर	अभिभावक प्रतिनिधि	दवाई व्यवसाय	
10	डॉ शरोज पति श्री हरिद्वार जी प्रसाद	154, अभिनंदन नगर मंदसौर	गदेन सदस्य	प्राचार्य	
11	श्रीमती रेखा पति श्री ओमप्रकाश जी कुमावत	एम.आई जी-13 रामटेकरी	शिक्षा विभाग	व्याख्याता	

5. मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रिकरण अधिनियम (क 44 सन 1973) की धारा के अधीन रुपये 2000/-की वार्षिक फीस

चालान क्र.- 1475638 दिनांक 26/06/2021 के द्वारा जमा कर दी गई है। उसकी मूल प्रति संलग्न है।

सोसायटी रजिस्ट्रिकरण अधिनियम
की धारा 29 के तहत प्रतिलिपि।

घोषणा -पत्र

मैं अशोक कुमार पारीख पिता श्री श्यामलाल जी आयु- 64 वर्ष एक प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सोसायटी के अभिलेख पर आधारित होने से तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार सत्य है सोसायटी के अभिलेख मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के अधिपत्य में हैं। मैं जानता हूँ कि यदि मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी है तो मैं उक्त अधिनियम की धारा 38 उपधारा 2 के अधीन दण्ड का दायी रहूँगा।

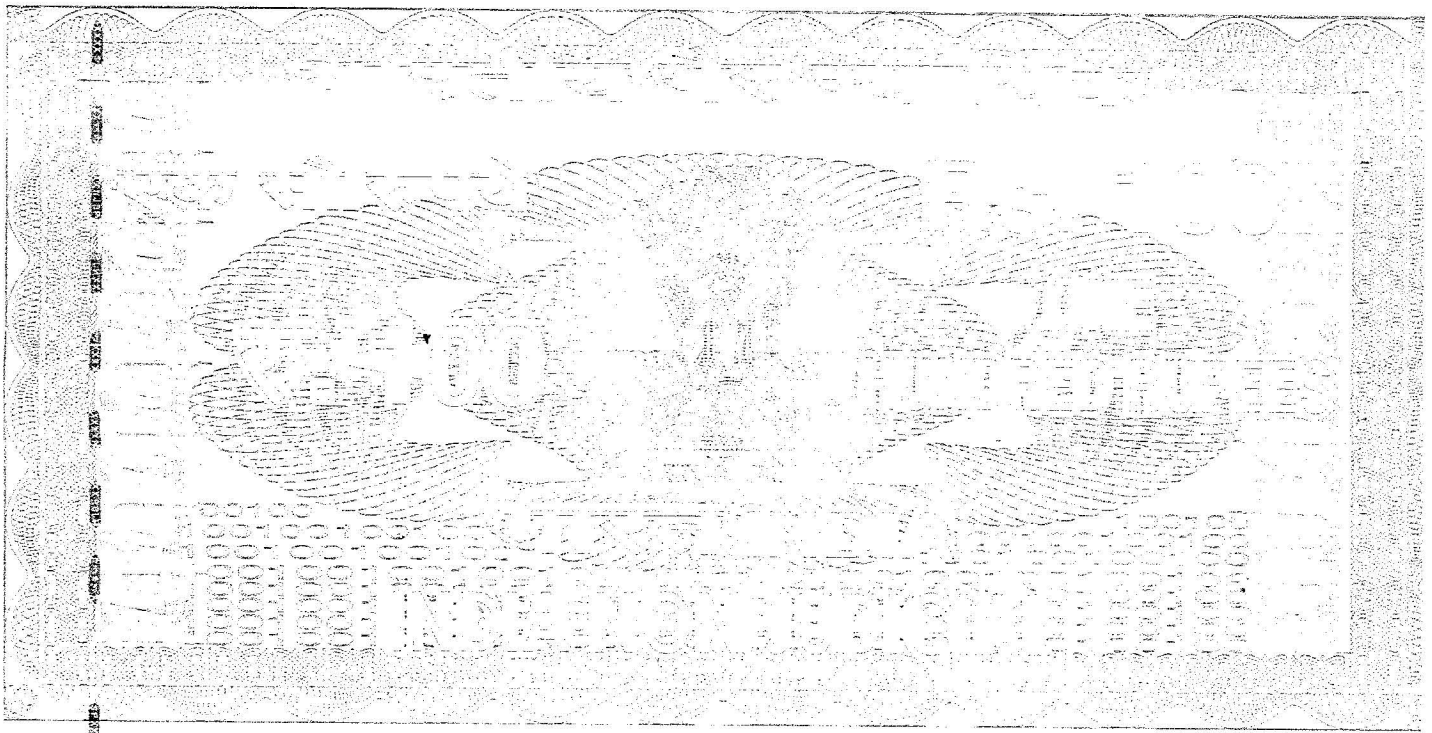
मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रिकरण अधिनियम
1973 की धारा 29 के तहत प्रतिलिपि।

नाम:- अशोक कुमार पारीख
(अध्यक्ष)
भारतीय आदर्श शिक्षण समिति
मन्दसौर (म.प्र.)

(दोस्ताना सहस्रिया)

समाजी सहायक पंजीयक

संस्था एवं संस्थाएं उज्जैन संभाग उज्जैन



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BK 170173

प्रस्ताव शास्त्रीय शिक्षण संस्थान ५२६१२

क्रमांक ३६२३ दिनांक ५-२-१९७४

के नाम से दिनांक ०२-८-२१ को प्रस्तुत मध्य प्रदेश

सांसाधन समिति के निर्णय १९७३ की धारा

२७ की जानकारी की प्रतिकृति के रूप में २३ के तहत

दिनांक २३-८-२१ को प्रेषित की गई है ५११३-३११३९८

के द्वारा प्रेषित किया गया है। धारा २७ के तहत

प्रस्तुत राशी निम्न की सूची की वैधता के संबंध

में प्रस्तुत राशी का संबंध है। जानकारी के लिए

आपको सूचित किया जाता है। जानकारी के लिए

आपको सूचित किया जाता है। जानकारी के लिए

आपको सूचित किया जाता है। जानकारी के लिए

(सहायक सचिव)

सहायक सचिव

कर्म एवं संस्थाएँ उच्च शिक्षण संभाग उच्च शिक्षण